न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज.

पीठासीन अधिकारी :– छत्रपालसिंह चौधरी (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 41/19 दायरा दिनांक 03.12.2019

समेकित वाद 44/19 दायरा दिनांक 12.12.2019

1. विष्णु पुत्र नाथूलाल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. चितरंजन पुत्र नाथूलाल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कसुमल पत्नि स्व.नाथूलाल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. जमनालाल पुत्र श्री गोकुल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–वादीगण

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र श्री गोकुल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. प्रीतमचन्द पुत्र श्री गोकुल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. शिवचरण पुत्र श्री गोकुल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
4. मालतीबाई पुत्री श्री गोकुल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान हाल पत्नि करनसिंह किराड निवासी पहाडीजागीर तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
5. रम्मोबाई पत्नि श्री गोकुल जाति किराड निवासी गदरेटा तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राज. काश्त. अधि. 1955

अन्तिम निर्णय दिनांक 17.04.2023

उपस्थित– वादीगण की ओर से–श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 की ओर से– श्री हेमराज नामदेव एडवोकेट
प्रतिवादी कम 3 व 4 की ओर से– श्री विपिन बंसल एडवोकेट
प्रतिवादी कम 2 व 5 की ओर से– एकपक्षीय
प्रतिवादी कम 6 की ओर से– पेरोकार सरकार

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गदरेटा तहसील शाहावाद में आराजी खसरा संख्या 9/531 रकबा 2.12 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 3.04

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

बीघा, खसरा संख्या 55 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 0.18 बीघा, खसरा संख्या 115 रकबा 41.15 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 8.16 बीघा, खसरा संख्या 280 रकबा 13.09 बीघा, खसरा संख्या 281 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 285 रकबा 3.10 बीघा, खसरा संख्या 287/511 रकबा 0.19 बीघा, खसरा संख्या 327 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 378 रकबा 0.14 बीघा, खसरा संख्या 384 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 445 रकबा 1.06 बीघा, खसरा संख्या 484 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 485 रकबा 1.05 बीघा, खसरा संख्या 497 रकबा 2.15 बीघा किता 17 कुल 84.09 बीघा भूमि स्थित है, जिसमें वादीगण 1 ता 3 का हिस्सा 1/7 व वादी कम 4 का हिस्सा 1/7 एवं प्रतिवादी कम 1 ता 5 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा है। विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में वादीगण तथा प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते में दर्ज है, जिससे वादीगण को अपने हिस्से की भूमि पर कृषि सुधार करने एवं इस हेतु ऋण लेने में परेशानी हो रही है, इस कारण वादीगण ने दिनांक 23.11.19 को प्रतिवादीगण से विवादित आराजीयात का अपने अपने हिस्से को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के सिद्वान्त के आधार पर विभाजित करा कर खाता प्रथक प्रथक करा लेनें बावत कहा तो प्रतिवादीगण ने विभाजन कराने से साफ इनकार कर दिया और प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 24.11.19 को जे.सी.बी. मशीन मंगाकर खसरा संख्या 280 जो एन.एच. 27 से लगा हुआ है के आगे के हिस्से पर नीव खुदाना चालू कर दिया, मना करने पर नहीं माना और लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया। इस तरह प्रतिवादी कम 1 कृषि भूमि पर बिना विभाजन कराये और बिना संपरिवर्तन कराये अवैध रूप से निर्माण कर कृषि भूमि के स्वरूप को परिवर्तित करने पर आमादा है, जो अपने मंसूवे में कामयाब हो जावेगा तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण विवादित आराजीयात में से अपने अपने हिस्से को प्रथक करा कर अपने हिस्से में आई आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी कम 1 की ओर से जरिये अधिवक्ता जबाव पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी का मूल खातेदार गोकुल पुत्र प्यारे था, जिसने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजीयात का बंटबारा अपने वारिसान के मध्य कर दिया था, जिस पर गोकुल के वारिसान बहैसियत मालिक काबिज हैं। पारिवारिक विभाजन में खसरा संख्या 280 रकबा 13.09 बीघा प्रतिवादी कम 1 के हिस्से में आई है। खसरा संख्या 115 रकबा 41.15 बीघा एवं खसरा संख्या 155 रकबा 8.16 बीघा कुल 50.11 बीघा के दोनो खेतों का एक ही चक है जिसे जमनालाल प्रीतम शिवचरण व नाथूलाल तथा नाथूलाल की मृत्यु उपरांत नाथूलाल के वारिसान वादी कम 1 ता 3 को बराबर बराबर दी गई थी। शेष खसरा नम्बरान की भूमि मालती रम्मोबाई के संयुक्त हिस्से में आई है। मालती की शादी होने से वह ससुराल में निवासरत है, इस कारण मालती के हिस्से को मां रम्मोबाई काश्त

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

कर रही है। प्रतिवादी ने अपने हिस्से में आई आराजी खसरा संख्या 280 रकबा 13.09 बीघा के चारों तरफ स्वयं के खर्चे पर कच्चा पत्थर कोट करवा लिया, टयूववैल लगवा लिया है, चूंकि उक्त खेत गांव के नजदीक होने से जानवर कच्चे पत्थर कोट को गिरा देते हैं, इस कारण पत्थर कोट के स्थान पर पक्की बाउण्ड्रीवाल बना रहे हैं। विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में वादी कम 4 तथा प्रतिवादी कम 1 ता 5 ने धारा 53 आर0टी0एक्ट का दावा नाथूलाल व राज. सरकार के विरूद्व प्रस्तुत किया, जिसे पिता गोकुल द्वारा किये बंटबारे पर कायम रहने के आश्वासन पर वाद को आगे नहीं चलाया। खातेदार गोकुल ने विवादित आराजी के बंटबारे के साथ–साथ बैंक से लिये गये ऋण का भी बंटबारा कर दिया था, खातेदार गोकुल की मृत्यु दिनांक 17.08.12 को हो जाने पर बैंक ऋण की राशि 29 लाख 99 हजार रूपये हो गई, तो बैंक ने अन्तिम नोटिस 20.04.17 को जारी कर विवादित आराजी कुर्क करने को कहा, तो प्रतिवादी कम 1 ने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बचाने हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत में अवार्ड पारित करा कर बैंक से राशि 6.00 लाख रूपये में सम्पूर्ण ऋण राशि का समायोजन करा कर मौके पर ही 60 हजार रूपये का भुगतान अपने पुत्र मनोज मेहता के नाम के चैक द्वारा कराया, लेकिन वादीगण के मन में बद्नियति आ जाने से अपने पिता द्वारा भूमि के बंटबारे व कर्जे का भुगतान न करने की नीयत से प्रतिवादी के हिस्से में आई भूमि पर जबरन कब्जा करने पर उतारू हो गये और हडपना चाहते हैं। प्रतिवादी ने भी मोहनलाल बनाम विष्णु वगैरा शीर्षक से वाद धारा 53,188 आर0टी0एक्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया हुआ है, जो जैरकार है।

प्रतिवादी कम 3 व 4 के द्वारा इकबाली जबाव पेश कर वाद को खारिज किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादी कम 1 मोहनलाल द्वारा भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 44/19 अन्तर्गत धारा 53,188 आर0टी0एक्ट का प्रस्तुत किया हुआ है, जिसे समान पक्षकार तथा समान विवाधक होने से इसी वाद के साथ समेकित किया जाकर सुनवाई की गई। और बाद कायमी तनकीयात दिनांक 11.02.2023 को वाद स्वीकार किया गया और विभाजन हेतु प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार शाहावाद को विभाजन प्रस्ताव पेश करने बावत आदेशित किया गया। न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिकी दिनांक 11.02.2023 की पालना में तहसीलदार शाहावाद ने विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया, विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण द्वारा विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिकी जारी किये जाने का निवेदन किया।

अतः विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर कुल विवादित आराजीयात खसरा संख्या 9/531 रकबा 2.12 बीघा, खसरा संख्या 53 रकबा 3.04 बीघा, खसरा संख्या 55 रकबा 0.07 बीघा, खसरा संख्या 56 रकबा 0.18 बीघा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद

संख्या 115 रकबा 41.15 बीघा, खसरा संख्या 155 रकबा 8.16 बीघा, खसरा संख्या 280 रकबा 13.09 बीघा, खसरा संख्या 281 रकबा 1.07 बीघा, खसरा संख्या 285 रकबा 3.10 बीघा, खसरा संख्या 287/511 रकबा 0.19 बीघा, खसरा संख्या 327 रकबा 0.04 बीघा, खसरा संख्या 378 रकबा 0.14 बीघा, खसरा संख्या 384 रकबा 0.06 बीघा, खसरा संख्या 445 रकबा 1.06 बीघा, खसरा संख्या 484 रकबा 1.02 बीघा, खसरा संख्या 485 रकबा 1.05 बीघा, खसरा संख्या 497 रकबा 2.15 बीघा किता 17 कुल 84.09 बीघा ग्राम गदरेटा तहसील शाहाबाद में से मुताबिक नक्शा विभाजन प्रस्ताव आराजी खसरा संख्या 115 रकबा 41.05 बीघा दक्षिणी 24.02 बीघा वादीगण के नाम, खसरा संख्या 280 रकबा 13.09 बीघा में से 12.01 बीघा प्रतिवादीकम 1 मोहनलाल के नाम तथा शेष सम्पूर्ण विवादित आराजी प्रतिवादीकम 2 लगायत 5 के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज की जावे। तदानुसार वादीगण, प्रतिवादीकम 1 मोहनलाल तथा प्रतिवादीकम 2 लगायत 5 के खाते पृथक–पृथक अंकन कर राजस्व रिकार्ड नक्शे में तरमीम किया जावे। अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 17.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद